भूतपूर्व छात्र परीक्षा - नियम एवं शर्तें

(Important Instructions for Submission of Ex-Student Exam Application)

1. कोई अभ्यर्थी एक वर्ष में दो परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकता है । इसी प्रकार कोई भी छात्र एक वर्ष में दो कालेजों में संस्थागत एवं भूतपूर्व छात्र नहीं हो सकता । भूतपूर्व छात्र अन्य फार्म, व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में नहीं भर सकता है, ऐसा मामला प्रकाश में आने पर सम्बन्धित की दोनों परीक्षायें निरस्त कर दी जायेंगी तथा भविष्य में विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा ।
2. भूतपूर्व छात्र के रूप में वही विषय लिये जा सकते है जो संस्थागत छात्र के रूप में थे परन्तु प्राचार्य की स्पष्ट संस्तुति पर विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति ले कर केवल प्रथम/पूर्वाद्ध परीक्षा में एक विषय बदला जा सकता है ।
3. विवाह होने के कारण महिला अभ्यर्थी के नाम में परिवर्तन हुआ हो तो इस आशय का शपथ पत्र रू. 10/- के स्टाम्प पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा ।
4. किसी उपाधि पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये अधिकतम अवधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु 07 वर्ष, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु 05 वर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु 03 वर्ष निर्धारित है । इस अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण न करने की दशा में पुनः प्रथम वर्ष की परीक्षा देनी होगी ।